e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे –04/2024 1353

प्रेषक,

कमलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 20/03/2025

विषय :– नदी के कटाव से जल में समाहित भूमि एवं जल से बाहर निकली भूमि का बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत निदेश के अनुरूप कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1155 दिनांक–17.05.2022 एवं पत्रांक–12848 दिनांक–19.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर, प्रखण्ड–सह–अंचल के राजस्व ग्राम–धरनीपट्टी, हरपुर, सैदाबाद, हरदासपुर, बघड़ा, डुमरी, जौनापुर, चांदपुर, बरूआ, रसलपुर इत्यादि के रैयतों द्वारा गंगा नदी के कटाव से जल में समाहित भूमि का सर्वेक्षण रैयतों के नाम से करने का अनुरोध उच्च स्तर पर किया गया है।

रैयतों से प्राप्त आवेदन के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत निर्मित होनेवाले अधिकार अभिलेख में नदी में समाहित (गंगशिकस्त) और नदी से निकली हुई भूमि (गंगबरार) की प्रविष्टि के साथ–साथ स्वामित्व निर्धारण की प्रक्रिया को प्रासंगिक पत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। सुलभ संकेतार्थ प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि गंगबरार एवं गंगशिकस्त से संबंधित भूमि के सर्वेक्षण हेतु पूर्व निर्गत निदेश के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की कार्रवाई पूर्ण की जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/3/25
(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 1353 **पटना, दिनांक**: 20/03/2025
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 1353 **पटना, दिनांक**: 20/03/2025
प्रतिलिपि : निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2025\Mayur\Director\file no-04_2024_19.03.2025.doc

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04 / 2024......1353......पटना, दिनांक: 20/03/2025
प्रतिलिपि : सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/3/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04 / 2024......1353......पटना, दिनांक: 20/03/2025
प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / अपर समाहर्त्ता / भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता / प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/3/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04 / 2024......1353......पटना, दिनांक: 20/03/2025
प्रतिलिपिः– प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 19/3/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04 / 2024......1353......पटना, दिनांक: 20/03/2025
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 19/3/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स०सं०:- 03/भू०अ०नि०(6) विशेष सर्वे०-04/2024........12848

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
सुपौल।

पटना, दिनांक :19/07/2024

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत निर्मित होनेवाले अधिकार अभिलेख में नदी में समाहित (गंगशिकस्त) और नदी से निकली हुई भूमि (गंगबरार) की प्रविष्टि संबंधी मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग :- बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-05/बन्दो0 दिनांक-05.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्र सं0- 05/बन्दो0 दिनांक-05.01.202 के द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत कोशी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के बीच मौजा चन्देल थाना नं0-172, मरीचा थाना नं0-173, परसौनी थाना नं0-174, रामपुर थाना नं0-180 व नेमुआ थाना नं0-181 में कोशी शिकस्त एवं कोशी बरार भूमि के भू-खण्डों का बिहार सरकार के नाम से खाता दर्ज करने की प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामिणों द्वारा किये जा विरोध एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए मार्गदर्शन की अपेक्षा प्रासंगिक पत्र के द्वारा की गयी है।

उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में दर्ज रैयती भूमि जो नदी में समाहित (गंगशिकस्त) एवं कालानुक्रम में नदी से निकली हुई भूमि (गंगबरार) के संबध में बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-52 (क) प्रावधानानुसार रैयती भूमि मानी गयी है। प्रश्नाकिंत भूमि गंगशिकस्त होने के बाद उसकी पहचान (Identity) समाप्त नहीं होती है। रिविजनल सर्वे खतियान में उक्त जमीन के बिहार सरकार की जमीन इन्द्राज होने के बावजूद उसकी बन्दोबस्ती अन्य लोगों के साथ नहीं होगी और उस पर पुराने रैयतों को ही पुर्नस्थापित करना विधिवत् होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पत्र संख्या-17/सर्वे0-2- 77/78- 1113/रा0 दिनांक-07 मार्च, 1979 के आलोक में नदी में समाहित रैयतों की भूमि (गंगशिकस्त) के कालानुक्रम नदी से निकली रैयती भूमि (गंगबरार) की स्वामित्व निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में उच्चस्तर पर निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

(i) कैडेस्ट्रल मानचित्र पर रिविजनल मानचित्र को ग्लास टेबल पर रख कर Impose कर रेखांकित करते हुए रिविजनल सर्वे मानचित्र में नदी प्रवाह क्षेत्र को कैडेस्ट्रल सर्वे के रैयती खेसरा से चिन्हित किया जाए।

(ii) गंगशिकस्त होने वाले नदी के प्रवाह क्षेत्र, नदी के स्थान परिवर्त्तन के कारण सी0एस0 में अंकित रैयती खेसरा को आर0एस0 में अंकित नदी के खेसरा वर्तमान में नदी प्रवाह से बाहर आने का स्थलीय मानचित्र अमीन के माध्यम से तैयार कराया जाए।

(iii) नदी के स्थान परिवर्त्तन के कारण राजस्व ग्राम के कुल कितने खेसरा का रकबा नदी से निकली हुई है, नक्शा में उसका अंकन अथवा चौहद्दी स्पष्ट कराया जाए।

(iv) कैडेस्ट्रल खतियान में गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि है, वैसी भूमि नदी में समाहित गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि रिविजनल खतियान में खाता अनबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज होकर किस्म भूमि नदी के रूप में दर्ज हुआ है तो, नदी से निकली हुई सरकारी भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि के रूप में पुर्नस्थापित किया जाए, ताकि सरकारी हितों को अक्षुण्ण रखा जा सके।

1276

(v) अभिलेखबद्ध करने में विषयांकित भूमि के सत्यापित जमाबंदी पंजी की विवरण के साथ कैडेस्ट्रल, रिविजनल सर्वेक्षण खतियान के सत्यापित प्रति एवं रिविजनल सर्वे मानचित्र संलग्न किया जाना उपर्युक्त होगा।

(vi) लगान का पुनर्जीवितिकरण (Restoration of Rent) का कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 558 दिनांक 30.06.1955 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अंचल अधिकारी द्वारा अपने अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से जिला समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के पास भेजेगें ताकि पुराने रैयतों को पुर्नस्थापित किया जा सके, ततपश्चात अंचल कार्यालय द्वारा जमाबंदी का पुनर्जीवितिकरण किया जाएगा।

(vii) यदि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में अंकित रैयती भूमि के नदी प्रवाह से बाहर निकलने के पश्चात (गंगबरार भूमि) जो रिविजनल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार दर्ज हो गया है तथा किसी अन्य विभागों को अंतरण किया गया हो तो प्राप्त प्रमाणिक दावों को बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा–52–(क) (2) के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव से पुनर्जीवितिकरण करने के पश्चात रैयती भू–खण्ड का भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुकूल कार्रवाई अपेक्षित होगी।

इसके अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख में नदी में समाहित (गंगशिकस्त) भूमि के प्रविष्टि के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्र संख्या–17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019–Part-II–1155 दिनांक–17.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशित किया गया है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(संचिका में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है)

अनुलग्नक : **यथोक्त**।

विश्वासभाजन
19/7/24
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक 19/07/2024

प्रतिलिपि : प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/सारण/तिरहुत/पूर्णियाँ/भागलपुर/दरभंगा/कोशी/मगध/मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक 19/07/2024

प्रतिलिपि : निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक 19/07/24

प्रतिलिपि : सभी समाहर्त्ता (सुपौल जिला को छोड़कर) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक 19/07/24

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक: 19/07/2024

प्रतिलिपि : सभी अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक: 19/07/2024

प्रतिलिपि:– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–04/2024 12848 पटना, दिनांक: 19/07/2024

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

(274)

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019–Part_II...........1155..........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद /
किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी /
सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0 चम्पारण / जमुई /
मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा।

पटना, दिनांक :– 17-05-2022

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत निर्मित होनेवाले अधिकार अभिलेख में नदी में समाहित (गंगशिकस्त) और नदी से निकली हुई भूमि (गंगबरार) की प्रविष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि विशेष सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रासंगिक विषय के संदर्भ में उठायी गयी समस्या एवं सुपौल जिले के रैयतों द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में नदी में समाहित (गंगशिकस्त) और नदी से निकली हुई भूमि (गंगबरार) के संबंध में स्पष्ट करना है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत निर्मित होनेवाले अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र में इस प्रकार की भूमि की प्रविष्टि के लिए बिहार काश्तकारी अधिनियम– 1885 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत निम्नांकित प्रावधानों का अवलोकन किया जा सकता है:–

(i) **बिहार काश्तकारी अधिनियम– 1885 52(क)– बाढ़ के कारण लगान में उपशमन और पुराने स्थल पर जलमग्न भूमि के निकल आने पर उसमें पुनः प्रवेश।–** (1) यदि किसी जोत की भूमि या उसका कोई भाग बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाय, तो उसकी जोत का लगान उस राशि तक उपशमित हो जायेगा, जिसका अनुपात समूची जोत के क्षेत्र के साथ हो।

(2)(क) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, रैयत के अधिकार, हक और हित ऐसी भूमि या उसके भाग पर, बाढ़ के कारण जलमग्न रहने की कालावधि में, बने रहेंगे और ऐसी भूमि या उसके भाग के अपने पुराने स्थल पर निकल आने पर रैयत को तुरंत उसे अपने कब्जे में कर लेने का अधिकार होगा।

(ख)– जल से निकल आयी भूमि के कारण जोत के लगान में बढ़ायी जानेवाली राशि, जब तक उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपांतरित न किया जाय उसी अनुपात में होगी, जो अनुपात निकलें हुए भूमि के क्षेत्र का उस जोत के कुल क्षेत्र के साथ हो।

(ii) **नदी के गर्भ में चली गई रैयती जमीन सम्बन्धी अभिलेख में दर्ज करने के संबंध में:–** (1) नदी का एक ही नम्बर दोनों छोरों के बीच में दिया जाएगा और दोनों छोर नक्शे में दिखाये जायेंगे। नदी के मौलिक खेसरा का रकबा नदी के दोनों छोरों के आधार पर निकाल कर दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) नदी में सन्निहित रैयती जमीन को टूटी लाईनें से दिखलाया जायेगा उनमें नदी मौलिक खेसरा के नीचे नक्शे के अंतिम नम्बर के बाद का नम्बर बट्टा करके अलग–अलग नहीं लिखकर नक्शे के हाशिए में लिखा जाएगा जैसे यदि नदी का नम्बर 2 हो तो 2/265 से 2/675

(3) उपरोक्त बट्टा नम्बरों को सम्बन्धि रैयतों के खाते में बिना रकबा और लगान के दर्ज किया जायेगा चूँकि भूमि जलमग्न अवस्था में है।

(4) चूँकि नेवीगेवुल नदी राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है एवं उसके सर्वसाधारण का अधिकार निहित होती है एवं उसमें सर्वसाधारण का अधिकार निहित होता है, इसलिए खाता बिहार सरकार के नाम से दर्ज होकर नदी का पूर्ण रकबा इसी खाते में दर्ज होगा **(संचिका संख्या– 17–1 (तक.) कोषांग 23/931977 दिनांक– 04.04. 1996. सेवा में, सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी)।**

(iii) **गंगबरार भूमि के सम्बन्ध में:–** प्रश्नांकित जमीन गंगशिकस्त होने के बाद उसी आइडेन्टीटी (identity) समाप्त नहीं होती है, अर्थात् वह अपने जगह पर सही रूप में पहचान ली जाती है तो बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा– 52ए के प्रावधान के अनुसार पुराने रैयतों की ही मानी जायेगी। रिविजनल सर्वे खतियान में उक्त जमीन के बिहार सरकार की जमीन इन्द्राज हो जोने के बावजूद उसकी बन्दोबस्ती अन्य लोगों के साथ नहीं होगी और उस पर पुराने रैयतों को ही पुनर्स्थापित करना विधिवत होगा **(बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पत्र सं0 17/सर्वे–2–77/78–1113/रा., दिनांक– 7 मार्च 1979, प्रेषक, श्री कमलेश्वरी शरण, सरकार के अवर सचिव, सेवा में, समाहर्त्ता, कटिहार)।**

(iv) **जलोढ़ एवं जलप्लावन की अभिव्यक्ति:–** जहां कोई भू–संपत्ति जल में डूब जाए और कुछ समय पश्चात् वह पुनः बाहर निकल आए, ऐसी स्थिति में वह संपत्ति उसी व्यक्ति की मानी जाएगी, जिसकी जल में डूबने के पूर्व थी, किन्तु इसके लिए उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि जल में डूबने से पूर्व वही उस भू–संपत्ति का वास्तविक स्वामी था। जब तक उसके द्वारा ऐसा साबित नहीं किया जाता, उसका अभिवाक् (Plea) मान्य नहीं होगा **(हरदास आचार्य बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, AIR 1917 PC 86)।**

उक्त के आलोक में नदी में समाहित रैयतों की भूमि एवं कालानुक्रम में नदी से निकली हुई रैयती भूमि के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय लिया जा सकता है:–

1. नदी का एक ही नम्बर दोनों किनारों के बीच में दिया जाएगा और दोनों किनारे नक्शे में दिखाये जायेंगे। नदी के मौलिक खेसरा का रकबा नदी के किनारों के आधार पर निकाल कर दर्ज किया जाना चाहिए।
2. चूंकि नेवीगेवुल नदी राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है एवं उसमें सर्वसाधारण का अधिकार निहित होती है। इसलिए खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज होकर नदी का पूर्ण रकबा इसी खाते में दर्ज होगा।
3. नदी में सन्निहित रैयती जमीन को टूटी लाइनें से दिखलाया जाएगा उनमें नदी के मौलिक खेसरा के नीचे नक्शे के अंतिम नम्बर के बाद का नम्बर बट्टा करके अलग–अलग नहीं लिखकर नक्शों को हाशिए में लिखा जाएगा, जैसे– यदि नदी का नम्बर 2 हो तो 2/625 से 2/650 इत्यादि।

4. नदी का खाता बिहार सरकार के नाम दर्ज होगा और अभ्युक्ति में सम्बन्धित रैयतों का नाम, खेसरा संख्या नदी का मौलिक खेसरा एवं अंतिम नम्बर के बाद का नम्बर बट्टा करके एवं रकबा दर्ज किया जाना चाहिए।
   (i) नवैयत (प्रपत्र–6 का अभ्युक्ति कॉलम में) खतियानी (सरकारी) एवं रैयती दर्ज किया जाना चाहिए।
   (ii) प्रपत्र–6 के कॉलम–11, भूमि का प्रकार/वर्गीकरण
5. रिविजनल सर्वे खतियान में रैयती जमीन गंगशिकस्त होने के कारण बिहार सरकार की जमीन इन्द्राज होने जाने के बावजूद नदी से बाहर निकलने के पश्चात् स्वामित्व हेतु साक्ष्य, बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा– 52 (क)(2) के अंतर्गत जमाबंदी का पुनर्जीवितिकरण और अंचल कार्यालय से निर्गत लगान रसीद के आधार पर खानापुरी प्रक्रम में रैयत के नाम पर दर्ज किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत नदी में समाहित और नदी से निकली हुई भूमि के संबंध में उक्त के अनुसार अधिकार–अभिलेख मानचित्र का संधारण करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 17/5/22
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019–Part_II ....1155.... **पटना, दिनांक** 17-05-2022

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय),बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीता मढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/5/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019–Part_II ....1155.... **पटना, दिनांक** 17-05-2022

प्रतिलिपिः– श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय/श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/5/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84/2019–Part_II ....1155.... **पटना, दिनांक** 17-05-2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/5/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

(471)

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019–Part_II ....1155........पटना, दिनांक 17-05-2022

प्रतिलिपि :– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IEISL (IL&FS), GISC, IIC के प्रतिनिधि को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/5/22

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019–Part_II ....1155........पटना, दिनांक 17-05-2022

प्रतिलिपि:– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 17/5/22

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019–Part_II ....1155........पटना, दिनांक 17-05-2022

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/5/22

भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2022\Birendra kumar Aso\director\file no 84 2019 Part-II 17.05.2022.doc